संख्या- 2212 /26-1-2026/1846570

प्रेषक,

प्रवीण मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
2- समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
3- समस्त विभागीय जांच अधिकारी (नामित) द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 28.09.2026

विषयः- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अधीन विभागीय जांचों में जांच आख्या के मानकीकृत प्रारूप एवं नियमसम्मत व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश।

महोदय,

यह शासन के संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अधीन संपादित कतिपय विभागीय जांचों में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या में अपचारी अधिकारी को प्रदान की गई व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई, विभागीय गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण तथा बचाव साक्ष्यों पर विचार का समुचित अभिलेखीकरण नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप अनेक प्रकरणों में दण्डादेश न्यायालयों द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर अपास्त किये जाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

2- इस संबंध में कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 22.04.2015, दिनांक 11.08.2015, दिनांक 10.02.2021 एवं दिनांक 19.07.2022 द्वारा विभागीय जांचों में नियम-7 की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा जांच अधिकारियों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है।

3- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7** के अधीन प्रत्येक विभागीय जांच में जांच अधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया का अनिवार्यतः पालन किया जाए तथा जांच आख्या निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत की जाए:-

विभागीय जाँच आख्या का मानकीकृत प्रारूप (आरोपवार):-

भाग-1 : प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

- शासन/विभाग का कार्यालय ज्ञाप संख्या एवं दिनांक।
- अपचारी अधिकारी का नाम, पद एवं तैनाती।
- जाँच अधिकारी का नाम एवं पद।
- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का नाम।
- आरोप-पत्र तामील की तिथि।
- लिखित उत्तर प्राप्त होने की तिथि।

भाग-2 : आरोपवार परीक्षण

अपचारी अधिकारी पर आरोप-पत्र में अंकित प्रत्येक आरोप (आरोप संख्या-1, आरोप संख्या-2, आरोप संख्या-3... एवं आगे जितने भी आरोप हों) के लिए नीचे दिया गया सम्पूर्ण प्रारूप पृथक-पृथक दोहराया जाएगा। प्रत्येक आरोप पर स्वतंत्र कारणयुक्त निष्कर्ष अंकित किया जाएगा।

आरोप संख्या-1

(1) <u>अपचारी अधिकारी पर लगाया गया आरोप</u>

आरोप-पत्र में अंकित आरोप को यथावत उद्धृत किया जाए।

(2) <u>अपचारी अधिकारी का उत्तर</u>

इस भाग में निम्नलिखित का उल्लेख किया जाए–

- लिखित उत्तर का सार।
- प्रस्तुत प्रतिरक्षा का विवरण।
- प्रस्तुत दस्तावेजों का उल्लेख।
- यदि बचाव गवाह प्रस्तुत किये गये हों तो उनका विवरण।

(3) <u>जाँच अधिकारी की जाँच आख्या एवं निष्कर्ष</u>

इस भाग में प्रत्येक आरोप के संबंध में पृथक रूप से निम्नलिखित का उल्लेख किया जाए–

- विभागीय दस्तावेजों का परीक्षण।
- विभागीय गवाहों के कथन।
- प्रतिपरीक्षण की स्थिति।
- बचाव साक्ष्यों का परीक्षण।
- अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का तुलनात्मक विश्लेषण।
- कारणयुक्त विवेचना।

आरोप संख्या-____ पर निष्कर्ष

☐ सिद्ध

☐ आंशिक रूप से सिद्ध

☐ सिद्ध नहीं

कारण (Reasoned Finding):

<u>(4) व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई की कार्यवाही एवं उस पर जाँच अधिकारी का निष्कर्ष</u>

(यह भाग प्रत्येक आरोप के लिए अनिवार्य रूप से भरा जाएगा।)

- नोटिस संख्या एवं दिनांक।
- सुनवाई की तिथि, समय एवं स्थान।
- अपचारी अधिकारी की उपस्थिति/अनुपस्थिति।
- यदि अनुपस्थित रहे तो सूचना की सेवा का विवरण।
- सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक कथनों का सार।
- प्रस्तुत अतिरिक्त अभिलेख/स्पष्टीकरण।
- जाँच अधिकारी द्वारा पूछे गये महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर।

• सुनवाई के उपरान्त आरोप के संबंध में जाँच अधिकारी की पृथक विवेचना।

व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई के उपरान्त आरोप संख्या-____ पर अंतिम निष्कर्ष

(दण्ड के संबंध में कोई संस्तुति अंकित नहीं की जायेगी।)

(यही प्रारूप आरोप संख्या-2, आरोप संख्या-3 तथा शेष सभी आरोपों के लिए क्रमशः दोहराया जाएगा।)

नोटः- यदि आरोप-पत्र में पाँच आरोप हैं तो उपर्युक्त चारों उपशीर्षक पाँचों आरोपों के लिए पृथक-पृथक अंकित किये जाएँगे; यदि दस आरोप हैं तो यही प्रारूप दसों आरोपों पर लागू होगा। किसी भी स्थिति में समस्त आरोपों पर एक साथ संयुक्त निष्कर्ष अंकित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक आरोप पर स्वतंत्र कारणयुक्त निष्कर्ष देना अनिवार्य होगा।

भाग-3 : समग्र निष्कर्ष

सभी आरोपों के पृथक परीक्षण के उपरान्त जाँच अधिकारी निम्न विवरण अंकित करेंगे–

विवरण	स्थिति
कुल आरोपों की संख्या	
सिद्ध आरोप	
आंशिक रूप से सिद्ध आरोप	
असिद्ध आरोप	

इसके पश्चात संलग्न अभिलेखों की सूची अंकित की जाएगी।

भाग-4 : अनिवार्य अनुपालन प्रमाण-पत्र

"मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि आरोप-पत्र में अंकित प्रत्येक आरोप का पृथक-पृथक परीक्षण किया गया है तथा प्रत्येक आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी का उत्तर, विभागीय एवं बचाव साक्ष्यों का परीक्षण, व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई की कार्यवाही तथा स्वतंत्र कारणयुक्त निष्कर्ष इस जाँच आख्या में अभिलिखित किये गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 एवं नियम-8 तथा कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत प्रासंगिक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।"

(दण्ड के संबंध में कोई संस्तुति अंकित नहीं की जायेगी।)

अनुपालन प्रमाण-पत्र (Checklist)

जांच अधिकारी जांच आख्या के साथ निम्न चेकलिस्ट अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे–

क्र०	अनुपालन बिंदु	हाँ/नहीं
1	आरोप-पत्र विधिवत तामील	
2	लिखित उत्तर प्राप्त	
3	अभिलेख निरीक्षण का अवसर	
4	विभागीय गवाहों का परीक्षण	
5	प्रतिपरीक्षण का अवसर	
6	बचाव साक्ष्य का अवसर	
7	व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई	
8	सुनवाई की कार्यवाही अभिलेखित	

9	प्रत्येक आरोप पर कारणयुक्त निष्कर्ष	
10	दण्ड की कोई संस्तुति नहीं	

4- उपरोक्त के संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में नियम-7 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक जांच आख्या उपर्युक्त प्रारूप एवं चेकलिस्ट सहित ही शासन को प्रेषित की जाये। यदि जांच आख्या में व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई अथवा अन्य अनिवार्य प्रक्रियाओं का स्पष्ट अभिलेखीकरण नहीं पाया जाता है, तो ऐसी जांच आख्या अपूर्ण मानी जायेगी तथा आवश्यक अनुपालन हेतु जांच अधिकारी को वापस की जा सकेगी।

भवदीय,

Digitally signed by PRAVEEN MISHRA

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन उ0प्र0 लखनऊ।

2- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

3- निदेशक, जनजाति, उ0प्र0 लखनऊ।

4- प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जाति/ जनजाति वित्त विकास निगम, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

6- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

7- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), उ0प्र0।

आज्ञा से,

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 28-09-2026 16:10:56

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।